भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 685

4 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

लाइट हाउस परियोजनाएं

685. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः
श्री टी.आर.वी.एस.रमेशः
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः
श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (जीएचटीसी-इंडिया) पहल के भाग के रूप में कुछ लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) की नींव रखी है;

(ख) यदि हां, तो दिशा-निर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए आंध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्रीय अनुदान सहायता की मात्रा कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी, हां। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2021 को वैश्विक आवासन प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत) के भाग के रूप में त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में छह लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी)

की आधारशिला रखी गई है। इस संबंध में दिशानिर्देशों सहित विवरण जीएचटीसी-इंडिया वेबसाइट www.ghtc-india.gov.in पर उपलब्ध है ।
लाइट हाउस परियोजनाएं, मॉडल आवासन परियोजनाएं हैं जो नये युग की श्रेष्ठ नवीकरणीय वैश्विक प्रौद्योगिकियों, सामग्री तथा प्रक्रियाओं का प्रर्दशन करेंगी तथा 12 महीने के भीतर स्थायी तरीके से निर्माण की बेहतर गुणवत्ता के तैयार आवास प्रदान करेंगी। ये लाइट हाउस परियोजनाएं, क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, इसकी आगे की प्रतिकृति और देश में अपनाए जाने की सुविधा के लिए लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में काम करेंगी।

(ग) और (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए देशभर में छह राज्यों के चुने जाने के क्रम में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक चुनौती स्थापित की थी, जिसमें उनसे पूर्व- निर्दिष्ट मापदंडों पर आधारित अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद उत्तर प्रदेश सहित उपर्युक्त छह राज्यों को लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण हेतु चुना गया है। इस समय लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): उपर्युक्त परियोजाओं के लिए अपेक्षित निधि की न्युनतम राशि तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान की राशि को अनुलग्नक में दर्शाया गया है।

****

दिनांक 04.02.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

परियोजना की अनुमानित लागत सहित एलएचपी का शहर-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**एलएचपी का स्थान**	**प्रौधोगिकी का नाम**	**आवासीय ईकाइयों की संख्या**	**केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ रू0 में)**		**राज्य/लाभार्थी हिस्सा**	**कुल लागत (करोड़ रू0 में)**
				केन्द्रीय सहायता	**प्रौधोगिकी नवीकरण अनुदान**		
1	अगरतला, त्रिपुरा	लाइट गॉज स्टील ढांचागत प्रणाली और पूर्व इंजीनियरिंग स्टील ढांचा प्रणाली	1,000	15	50	97.5	162.5
2	इंदौर, मध्य प्रदेश	प्रीफ्रेबिकेटिड सैंडविच पैनल सिस्टम	1,024	15.36	40.96	71.68	128
3	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	प्लेस फोर्मवर्क प्रणाली में पीवीसी स्टे	1,040	15.6	41.6	73.7	130.9
4	चेन्नई, तमिलनाडु	प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली-प्रीकास्ट घटकों का स्थल पर ही जोड़ा जाएगा	1,152	17.28	46.08	52.9	116.26
5	राजकोट, गुजरात	टनल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए मोनेलिपिक कंक्रीट निर्माण	1,144	17.16	45.76	55.97	118.89
6	रांची, झारखंड	प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली-3 डी अनुमापी	1,008	15.12	40.32	78.56	134
		कुल	**6,368**	**95.52**	**264.72**	**430.31**	**790.55**

****